



Neutral Citation No - 2026:AHC:25292

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी संख्या - 2026 की 495

शहजाद एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : कृष्ण मोहन, रोहित वर्मा
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बब्बन सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पुनःस्मरण आवेदन संख्या 25/2006-07 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या AL20071043991138) (मोबिन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), जिला लखीमपुर खीरी, को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 331 के अधीन विहित समयावधि के भीतर विनिर्णीत करने का आदेश देने वाली परमादेश की रिट जारी करने की याचना करते हुए दाखिल की गई है।

3. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-B के अधीन वाद से उद्भूत द्वितीय अपील को राजस्व परिषद ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञापत्र को बनाए रखते हुए अनुमत किया था। उन्होंने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादी द्वारा दाखिल पुनःस्मरण आवेदन वर्ष 2006-07 से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लम्बित है। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए कि वाद शीघ्रतापूर्वक प्रगति नहीं कर रहा है, लम्बित कार्यवाही की आदेश पत्रक भी प्रस्तुत की।

4. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त पुनःस्मरण आवेदन को, सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः 2 माह की अवधि के भीतर, सम्बन्धित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र विनिर्णीत करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5 फरवरी, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"